न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

पीठासीन अधिकारी : पंकज शर्मा
(आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 99/2020 (GCMS No. 2020/00138)

1. बाबुलाल आयु 40 वर्ष पुत्र स्व. बनवारीलाल जाति कुम्हार निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुझुनूं ।
2. मोहनलाल आयु 38 वर्ष पुत्र स्व. बनवारीलाल जाति कुम्हार निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुझुनूं ।

– आवेदकगण

बनाम

1. जुगलकिशोर पुत्र सत्यनारायण जाति ब्राहमण निवासी मलसीसर हाल निवासी सन्तनगर बुराड़ी चौक दिल्ली।
2. पंकज पुत्र सत्यनारायण जाति ब्राहमण निवासी मलसीसर हाल निवासी सन्तनगर बुराड़ी चौक दिल्ली।
3. सुनिल पुत्र सत्यनारायण जाति ब्राहमण निवासी मलसीसर हाल निवासी सन्तनगर बुराड़ी चौक दिल्ली।
4. सुशील पुत्र सत्यनारायण जाति ब्राहमण निवासी मलसीसर हाल निवासी सन्तनगर बुराड़ी चौक दिल्ली।
5. संजय पुत्र सत्यनारायण जाति ब्राहमण निवासी मलसीसर हाल निवासी सन्तनगर बुराड़ी चौक दिल्ली।
6. सरबतीदेवी पत्नी बनवारीलाल जाति जाट निवासी दुलपुरा तहसील मलसीसर जिला झुझुनूं।
7. पारतीदेवी पुत्री मुलाराम जाति कुम्हार निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुझुनूं ।
8. सुमाकोर पुत्री मूलाराम जाति कुम्हार निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुझुनूं।
9. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा पीरूसिहं सर्किल झुझुनूं तहसील व जिला झुझुनूं जरिये शाखा प्रबन्धक।
10. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण शाखा मलसीसर जिला झुझुनूं जरिये शाखा प्रबन्धक।
11. राजस्थान सरकार जरिये लेण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील मलसीसर जिला झुझुनूं ।

अनावेदकगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

वकील प्रार्थी –श्री विजयसिंह लालपुरिया
वकील अप्रार्थी – रजिया बानो

41

निर्णय

दिनांक 30.10.2024

संक्षेप मे आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम गोखरी पटवार हल्का गोखरी की सरहद में आराजी ख.न. 100 रकबा 6.77 हैक्टर भूमि अवस्थित है जिस पर आवेदकगण अपने दर्ज हिस्से मुताबिक काबिज काश्त है। उक्त भूमि आवेदकगण की पैत्रिक खातेदारी काश्त की भूमि है। उक्त भूमि में आने जाने के लिये प्रार्थीगण भूमि ख.न. 104 रकबा 4.15 हैक्टर भूमि की दक्षिणी सीमा के सहारे सहारे नजरी नक्शा में दर्शित बिन्दु ए. से बी. तक अपने खेत ख.न. 100 में आवागमन करते रहा है तथा अपना ऊंट गाड़ा, ट्रैक्टर वगैर भी इसी रास्ते से लाते ले जाते रहे है। प्रार्थीगण के पास अपने खेत में आने जाने के लिये अन्य कोई नजदीकी वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा रास्ता कटानी नहीं होने के कारण बार बार आवेदकगण के रास्ते में व्यवधान कारित किया जा रहा है। इसलिये प्रार्थीगण को नजरी नक्शा में दर्शित बिन्दु ए से बी 12 फुट चौड़ाई का रास्ता राजस्व रिकार्ड में लाल स्याही से अंकित कर राजस्व रिकार्ड में कटानी दर्ज कर दिलवाया जाना न्यायोचित है। प्रार्थीगण उक्त रास्ते में जाने वाली भूमि के बदले भूमि या भूमि की डी.एल.सी. की दुगुनी कीमत से भुगतान करने के लिये तैयार है। प्रार्थीगण के आवागमन के लिये अन्य कोई रास्ता नहीं है तथा उक्त नजरी नक्शा में दर्शित बिन्दु ए से बी राजस्व रिकार्ड में कटानी दर्ज नहीं होने से अप्रार्थीगण 1 लगायत 6 प्रार्थीगण को अपनी भूमि तक जाने के लिये आनाकानी कर रहे हैं तथा उक्त रास्ते में अवरोध पैदा कर रहे हैं और लड़ाई झगड़े के लिये भी उतारू हो रहे है। इसलिये उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान जी के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ। अन्त में प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ग्राम भामु का बास में अवस्थित अपनी भूमि खेत ख. न. 100 में जाने के लिये अनावेदक नं. 1 लगायत 6 की भूमि ख.न. 104 की दक्षिणी सीमा के सहारे सहारे नजरी नक्शा में दर्शाये बिन्दु A से B तक 12 फीट चौड़ा रास्ता राजस्व रिकार्ड में कटानी दर्ज कर दिलवाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अनावेदकगण को जरिये सम्मन तलवाना नोटिस जारी कर प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो उतर देने के लिए निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपसंजात होकर जवाब पेश करने हेतु पाबन्द किया गया। साथ ही तहसीलदार मलसीसर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क के प्रावधानों के तहत मौका जांच कर रिपोर्ट चाही गई। अनावेदक संख्या 4 की ओर से एडवोकेट रजिया बानो ने जवाब पेश कर कथन किया कि आवेदकगण/प्रार्थीगण 1 लगायत 2 ने गलत तरीके व साजसी तौर पर माननीय न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया है जो कि काबिले खारीज योग्य है प्रार्थीगण को अपनी जोत में आने के लिये रास्ता उपलब्ध है प्रार्थीगण/आवेदकगण खेत खसरा 104 मे से कभी भी आवगमन नही किया ना ही कभी ऊंट गाडा व अन्य प्रकार का साधन वगैरह लेकर गये है प्रार्थीगण/आवेदकगण के ख.न. 101 मे से रास्ता मोजूद है प्रार्थीगण के अपनी जोत में आने जाने के लिए रास्ता मौजूद होने के बावजूद उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थीगण के पास अपनी जोत तें आने जाने के लिए रास्ता/वैकल्पिक रास्ता मौजूद है तत्पश्चात भी प्रार्थीगण ने उक्त रास्ता के बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया है जो कि न्याय की मंशा के विपरित है एवं काबिले खारीज है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र मय

41

शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

अनावेदकगण संख्या 1 से 3, 5 से 10 की ओर से कोई उपसंजात नहीं हुआ। पक्षकारान को नोटिस विधिवत तामिल होने के पश्चात सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर देने के उपरांत भी अपना पक्ष नहीं रखते है या उपसंजात नहीं होते है तो यह मानकर कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार सिद्वि दिये जाने में उन्हे कोई उजर एतराज नहीं है, उनके विरूद्व आदेश 9 नियम 6 के तहत एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है। प्रकरण में विधिवत तामिल होने के पश्चात भी अप्रार्थी संख्या 1 से 3, 5 से 10 की ओर से अपना पक्ष नहीं रखने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

तहसीलदार मलसीसर ने अपने पत्र क्रमांक 1015 दिनांक 14.05.2022 से अपनी मौका रिपोर्ट प्रेषित की गई। तहसीलदार मलसीसर ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि उक्त भूमि के लगते हुये किसी भी खसरा नम्बरान में कटानी रास्ता नहीं है तथा इसके अलावा और कोई नजदीक रास्ता सुलभ नहीं है। आवेदक द्वारा चाहा गया मार्ग की लम्बाई 96 मीटर है।

जवाब देही पूर्ण होने पर बहस विद्वान अधिवक्तागण श्रवण की गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये ख0न0 104 में से चाहा गया रास्ता दिये जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 4 ने दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थीगण के ख.न. 101 मे से रास्ता मोजूद है इसलिये प्रार्थना मय खर्चा खारीज फरमाया जावे।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251क के नियम 1(ख) में स्पट है कि "कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतो तक पहूंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारीत या चौड़ा करना चाहता है" – और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबंन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि –

1. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है और
2. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहूंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किया गया है–

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सींमाकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रेक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि से होकर, और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लधुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भाग को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नय मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग

41

को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों, तहसीलदार की मौका रिपोर्ट एवं विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। प्रश्नगत प्रकरण में प्रार्थीगण की ओर से अपनी खातेदारी काश्तकारी भूमि ख0न0 100 में आने जाने हेतु ख0न0 104 के दक्षिणी सीमा के सहारे–सहारे नजरी नक्शे में दर्शित मार्क A से B तक रास्ता चाहा गया है। तहसीलदार मलसीसर की रिपोर्ट के अनुसार ख0न0 100 के लगते हुये किसी भी खसरा नम्बरान में कटानी रास्ता नहीं है तथा ख0न0 104 में नजरी नक्शे में दर्शित मार्क A से B तक रास्ते के अलावा अन्य कोई नजदीक रास्ता सुलभ नहीं है। अतः तमाम साक्ष्य सबूतों के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

निर्णय

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण को खेत खसरा नम्बर 100 में आने–जाने के लिये खेत खसरा 104 के दक्षिणी सीमा के सहारे–सहारे प्रार्थना पत्र के सलंग्न नजरी नक्शा में दर्शित मार्क A से B तक 12 फुट चौड़ा रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का आदेश दिया जाता है तहसीलदार मलसीसर को निर्देशित किया जाता है कि ख0न0 104 में से रास्ते में आने वाली भूमि के बदले डी. एल.सी. का दो–गुणा राशि आवेदक से वसूल कर ख0न0 104 के खातेदार को दी जाकर राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता कायम किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.10.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
मलसीसर